डायरी नं0–137 / वनभूमि– Date–16/01/2019

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 1843 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 10 / 01 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत ज्ञानसू–साल्ड से उपला बस्ती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.576 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/18704/2016.**

सन्दर्भ :– **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी का पत्र सं0– 4640 / वन भूमि, दिनांक 21.12.2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 8 तक की सभी शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0 स0	शर्तो / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1140 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा 1140 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 12,54,000.00 (बारह लाख चव्वन हजार रू0 मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा 0.576 है0 के बदले एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 3,78,432.00 (तीन लाख अठ्त्तर हजार चार सौ बत्तीस रू0 मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आषय का प्रमाण पत्र दिया गया है। कि यदि भविष्य मे माननीय उच्चतम् न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों मे कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष मे कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा देय धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम से Corporation Bank, Lodhi complex Branch, block 11, CGO complex, Phase-1, Lodhi road New Delhi- 11003 के अन्तर्गत

	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप मे मान्य नही होगी।	UTTARANCHAL CAMPA के खाता संख्या– 150896118704638, IFSC CODE-COR0000371 में रु016,32,432.00 जमा कर दी गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे Strip plantation की जाएगी। इस आषय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी जाती है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे Strip plantation की जाएगी।
6	State Govt. will mention the date in village level committee meeting proceedings in the proposal.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ग्रामसभा स्तरीय समिति मे दिनांक अंकित कर दी गयी है।
7	State Govt. will mention correct density and revise NPV calculation sheet as 114 trees are present in 0.576 Ha. area which dose not account for 0.1 density.	इस शर्त के अनुपालन मे पुनरीक्षित एन0पी0वी0 गणना कर सही घनत्व 0.3 अंकित कर दिया गया है तथा revise NPV calculation sheet part II के para-13 additional documents में upload कर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	State Govt. will provide original hard copy of geo-referenced digital map of proposed road.	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा geo-referenced digital map की सत्यप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र पर विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– अनुपालन आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

पत्रांक 194 / [illegible] दि० 16/1/19
प्रतिलिपि श्री सुनील सिंह रावत सहायक अभियन्ता I को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड कर तत्काल सूचित करें।

अ० अ० 15/1/19

15.1.19